सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 38/2018

1. भागवन्ती पत्नी रिशु जाति नायक उम्र 28 वष निवासी वार्ड नम्बर 3, मुरलीधर के मकान में राधास्वामी डेरे के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर ,शहर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1. अपीलार्थीया स्वंय
2. सीडीपीओ श्रीगंगानगर

आदेश

दिनांक : 26–06–2018

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के क्रमांक 1180 दिनांक 26.03.2018 विज्ञप्ति संख्या 02/2018 के क्रम में प्रार्थीया ने वार्ड नम्बर 03 श्रीगंगानगर के आंगनबाडी केन्द्र में सहायिका पद हेतु आवेदन किया था। शहरी चयन बैठक में प्रार्थीया के दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये व प्रार्थीया को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि स्थायी पते का कोई सबूत नहीं है तथा नजदीकी वार्ड की है। प्रार्थीया के परिवार का वार्ड नम्बर 03 का राशन कार्ड बना हुआ है और राशन आदि का उठाव भी पिछले सालों से कर रही है। राशन कार्ड की फोटो प्रति सलंग्न है। प्रार्थीया का आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड भी वार्ड नम्बर 03 का बना हुआ है जिनकी भी फोटो प्रति सलंग्न है। प्रार्थीया वार्ड नम्बर 03 में सहायिका पद हेतु केवल मात्र प्रार्थीया का ही आवेदन प्रस्तुत किया हुआ था जिसे निरस्त किया गया इससे प्रतीत होता है कि विभाग की मंशा इस पद को खाली रखने की है। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है और गरीब परिवार की है आंगनबाडी में सहायिका पद पर लगने की इच्छुक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि शहरी चयन बैठक को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने की कृपा करें।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्री गंगानगर (शहर) से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया ने वक्त बहस अवगत कराया गया कि उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के क्रमांक 1180 दिनांक 26.03.2018 विज्ञप्ति संख्या 02/2018 के क्रम में प्रार्थीया ने वार्ड नम्बर 03 श्रीगंगानगर के आंगनबाडी केन्द्र में सहायिका पद हेतु आवेदन किया था। शहरी चयन बैठक में प्रार्थीया के दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये व प्रार्थीया को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि स्थायी पते का कोई सबूत नहीं है तथा नजदीकी वार्ड की है। प्रार्थीया के परिवार का वार्ड नम्बर 03 का राशन कार्ड बना हुआ है और राशन आदि का उठाव भी पिछले सालों से कर रही है। राशन कार्ड की फोटो प्रति सलंग्न है। प्रार्थीया का आधार कार्ड व भामाशाह

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

कार्ड भी वार्ड नम्बर 03 का बना हुआ है जिनकी भी फोटो प्रति सलंग्न है। प्रार्थीया वार्ड नम्बर 03 में सहायिका पद हेतु केवल मात्र प्रार्थीया का ही आवेदन प्रस्तुत किया हुआ था जिसे निरस्त किया गया इससे प्रतीत होता है कि विभाग की मंशा इस सपद को खाली रखने की है। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है और गरीब परिवार की है आंगनबाडी में सहायिका पद पर लगने की इच्छुक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि शहरी चयन बैठक को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर ने अपने जबाब एवं बहस में कहा है कि वार्ड नम्बर 03 में सहायिका पद हेतु मात्र 1 आवेदन प्राप्त हुआ जो कि श्रीमती भागवन्ती पत्नी रिशु का था। आवेदन कर्ता के द्वारा आवेदन फार्म के साथ 8 सलंग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें की राशन कार्ड में एक स्थान पर वार्ड नम्बर 04 और दूसरे स्थान पर वार्ड नम्बर 03 अंकित था। आवेदनकर्ता के द्वारा दिनांक 13.06.2018 की शिकायत के साथ जो राशनकार्ड प्रस्तुत किया गया है, उसमें दोनों स्थान पर वार्ड नम्बर 03 अंकित है। जबकि पूर्व में प्रस्तुत राशन कार्ड तथा दिनांक 13.06.2018 को प्रस्तुत राशनकार्ड को जारी करने की दिनांक 06.04.2018 ही हैं अर्थात एक ही दिनांक को जारी दोनो राशन कार्ड एक ही महिला के है, परन्तु अन्तर है। आवेदन कर्ता के आधार कार्ड में निवाास के पते में वार्ड नम्बर 09 अंकित था। इसके अलावा स्थायी निवास सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज सलंग्न नहीं था। चयन समिति की बैठक में संबधित वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे उनके द्वारा भी अवगत करवाया गया कि आवेदनकर्ता वार्ड की स्थायी निवासी नहीं है एवं वर्तमान में किराये के मकान में निवास कर रही है। दस्तावेजो में संशय तथा वार्ड की स्थायी निवासी नहीं होने के कारण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उक्त आवेदन को खारिज करने का निर्णय किया गया और चयन समिति की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा आवेदन को खारिज करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी श्री गंगानगर (शहर) ने अपनी रिपोर्ट कमांक 379 दिनांक 26.06.2018 में अंकित किया है कि "आवेदन कर्ता के द्वारा आवेदन फार्म के साथ 8 सलंग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें की राशन कार्ड में एक स्थान पर वार्ड नम्बर 04 और दूसरे स्थान पर वार्ड नम्बर 03 अंकित था। आवेदनकर्ता के द्वारा दिनांक 13.06.2018 की शिकायत के साथ जो राशनकार्ड प्रस्तुत किया गया है, उसमें दोनों स्थान पर वार्ड नम्बर 03 अंकित है। जबकि पूर्व में प्रस्तुत राशन कार्ड तथा दिनांक 13.06.2018 को प्रस्तुत राशनकार्ड को जारी करने की दिनांक 06.04.2018 ही हैं अर्थात एक ही दिनांक को जारी दोनो राशन कार्ड एक ही महिला के है, परन्तु अन्तर है। आवेदन कर्ता के आधार कार्ड में निवाास के पते में वार्ड नम्बर 09 अंकित था। इसके अलावा स्थायी निवास सम्बन्धी कोई भी दस्तावेज सलंग्न नहीं था दस्तावेजो में संशय तथा वार्ड की स्थायी निवासी नहीं होने के कारण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उक्त आवेदन को खारिज करने का निर्णय किया गया और चयन समिति की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा आवेदन को खारिज करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

विभागीय परिपत्र कमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 अनुसार आवेदक कितने समय से स्थायी निवासी होनी चाहिए, के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है जबकि अपीलार्थीया ने अपने राशन कार्ड कमांक 200000961649 की प्रति पेश की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

जिसके अनुसार वह वार्ड नम्बर 03 की निवासी है। इसकी पुष्टि करने हेतु जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से भी इस राशन कार्ड की प्रति एवं इसमें हुए ट्रांजेक्शन का विवरण मंगवाया जाकर सलंग्न पत्रावली किया। इस राशन कार्ड में प्रविष्टियों के आधार पर स्पष्ट है कि माह मार्च 2017 सें अपीलार्थीया द्वारा गेहूँ प्राप्त किया गया है। **''वार्ड नम्बर 03 की विभागीय आंगनबाडी कार्यकर्ता प्रेमलता के द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र दिनांक 09.06.2018 में अंकित है कि ''भागवती पत्नी रिशु वार्ड नम्बर 03 में किराये पर 4 साल से रह रही है इनकी बच्ची का पोषाहार कभी–कभी जाता रहा है। अब ये गर्भवती है अब इनका पोषाहार लगातार जा रहा है ये अब वार्ड नम्बर 03 में रह रही है।''** अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड के अनुसार भी उसका आवेदन करते वक्त पता वार्ड नम्बर 03 ही है। लिहाजा शहरी क्षेत्र के लिए चयन समिति की बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के द्वारा अपीलार्थिया के आवेदन को खारिज करने हेतु निर्णय लिये जाने से पूर्व तथ्यात्मक जांच नहीं की गई है और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण में अपीलार्थिया को इस सम्बन्ध में सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान ही किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय न्याय संगत नहीं है। लिहाजा इसे निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टस को आदेशित किया जाता है कि वे श्रीगंगानगर शहर के वार्ड नम्बर 03 के लिए सहायिका पद हेतु एक मात्र आवेदिका अपीलार्थिया भागवन्ती पत्नी रिशु का चयन मानते हुए सहायिका के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिारी श्रीगंगानगर (शहर) को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

26/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।